BA Part II (H)

Paper III

Dr. Chiranjeev Kr Thakur
Assistant Professor (GT)
Department of Sociology
VSJ College Rajnagar

Lecture VIII

अनुसूचित जातियों के समस्याओं का निराकरण ⇒

e) अनुच्छेद 38 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयत्न करेगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक - न्याय के द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थाओं को अनुप्राणित करे, लोककल्याण की वृद्धि करे।

f) अनुच्छेद 46 में राज्य की ओर से जनता के दुर्बल वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शैक्षिक संबंधी सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे आर्थिक उन्नति करें। इसी अनुच्छेद में सामाजिक अन्याय और शोषण से भी दलित वर्गों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है।

(g) अनुच्छेद 330, 332, 334 के द्वारा संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों में 20 वर्ष तक इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी गई है।

(h) अनुच्छेद 164 में इन जातियों के कल्याण तथा हितों की रक्षा के उद्देश्य से राज्यों में सलाहकार परिषदों और पृथक विभागों की व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद में केन्द्र सरकार में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

(i) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार किसी भी सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार से पूजा, प्रार्थना या इससे धार्मिक संस्कार करने के लिए स्वतंत्र होगा। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म संबंधी पवित्र नदी, तालाब आदि में नहाने या पानी लेने की स्वतंत्रता होगी। इस अधिनियम में सार्वजनिक स्थानों दुकानों, जलपान गृहों, धर्मशालाओं आदि के प्रयोग का अधिकार भी अनुसूचित जातियों को दिया गया है।